कानपुर नगर निगम

दिनांक 24.03.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 29.03.2018
को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक
का कार्यवृत्त

समय अपरान्ह 2.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/ 34 /सचिव (न0नि0)/2018–19 दिनांक :– 04/05/2018

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती..........................

पार्षद वार्ड सं0........../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 24.03.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 29.03.2108 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 21 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त /संयुक्त नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04/5/18
सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांकः– **29.03.2018** दिन गुरूवार को अपरान्ह 02:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	सभापति / महापौर
2.	श्री नवीन पण्डित	उपसभापति / सदस्य
3.	श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद / सदस्य
4.	श्री अभिषेक गुप्ता ''मोनू''	पार्षद / सदस्य
5.	श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
6.	श्री जयप्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
7.	श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
8.	श्री संतोष साहू	पार्षद / सदस्य
9.	श्री विजय यादव	पार्षद / सदस्य
10.	श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य
11.	श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
12.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य
13.	श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री अविनाश सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	संयुक्त नगर आयुक्त
4.	श्री आर.पी.एस.सलूजा	महाप्रबन्धक, जलकल
5.	श्री रमेश चन्द्र निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6.	श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
7.	श्री रामनगीना त्रिपाठी	मुख्य अभियन्ता 'वि0 / यॉ0'
8.	डॉ0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी / प्रभारी वर्कशॉप
9.	डॉ0 अमित कुमार सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
10.	डॉ0 ए0के0 सिंह	पशु चिकित्साधिकारी

नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित परम् आदरणीय मा0 सभापति जी, समिति के सम्मानित सदस्यगण व नगर निगम परिवार के हमारे अधिकारीगणों का मैं अविनाश सिंह, नगर आयुक्त स्वागत करता हूँ और विधिवत् एजेण्डे के अनुसार कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये मा0 सभापति महोदया से अनुमति चाहता हूँ, तद् अनुसार सभापति द्वारा एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

नगर आयुक्त ने एजेण्डा पढ़कर समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि एजेण्डा के बिन्दु सं0–01 के अनुसार सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव प्रस्तावित है। इसलिये आप सभी सदस्य इस सम्बन्ध में अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने का कष्ट करें।

सभापति ने कार्यकारिणी के उपसभापति हेतु श्री नवीन पण्डित का नाम प्रस्तावित किया।

..................**सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री नवीन पण्डित को कार्यकारिणी समिति का उपसभापति बनाये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।**

सभापति ने श्री नवीन पण्डित को कार्यकारिणी समिति का उपसभापति बनाये जाने पर हार्दिक बधाई दी, तद् उपरान्त नगर आयुक्त ने उप सभापति चयनित होने पर श्री नवीन पण्डित को बधाई देते हुये अपर नगर आयुक्त एवं संयुक्त नगर आयुक्त को समिति के समस्त सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर अपर नगर आयुक्त व संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

नगर आयुक्त ने एजेण्डा के बिन्दु सं0–02 पर चर्चा के लिये मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को नगर निगम के मूल बजट वर्ष 2018–19 से समिति के सदस्यों को अवगत कराने हेतु कहा।

ह0.............. महापौर

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम मूल बजट 2018–19 की प्रतियाँ समिति के सदस्यों को उपलब्ध करवाते हुये कहा कि माननीय सभापति जी, नव निर्वाचित माननीय उप सभापति जी,कार्यकारिणी के मा0 सदस्य गण, आप सभी विद्वतजनों के समक्ष नगर आयुक्त महोदय के मार्ग दर्शन तथा नगर निगम कानपुर के विभागाध्यक्षों से किये गये विचार विमर्श के पश्चात मै मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,नगर निगम कानपुर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित कुल आय 122756.20 लाख (1227 करोड़ 56 लाख 20 हजार) व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 22508.30 लाख (225 करोड़ 08 लाख 30 हजार)कुल रूपया 145264.50 लाख (1452 करोड़ 64 लाख 50 हजार) के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 132795.10 लाख (1327 करोड़ 95 लाख 10 हजार)अन्तिम अवशेष 12469.40 लाख (124 करोड़ 69 लाख 40 हजार) कुल रूपया 145264.50 लाख (1452 करोड़ 64 लाख 50 हजार) का मूल बज़ट तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हू जिसके मुख्य विशेषतायें इस प्रकार है -

वित्तीय वर्ष 2018-19 के मूल बज़ट के मुख्य आकर्षण

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 का मूल बजट 145264.50 लाख (1452 करोड़ 64 लाख 50 हजार) कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो नगर निगम कानपुर की तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद गत वर्ष से 2436 .00 लाख (24 करोड 36 लाख) अधिक है। भारत में मुद्रा स्फिीति की दर का औसत 2012 से अनटिल 2018, 6.65 प्रतिशत आकलित किया गया। इस पूरे समय में मुद्रा स्फिीति की दर सर्वाधिक 12.17 प्रतिशत नवम्बर 2013 में रही और सबसे कम मुद्रा स्फिीति की दर 1.54 प्रतिशत जून 2017 में आंकी गई। तात्पर्य यह है कि मंहगाई की दर में गिरावट के बावजूद भी हमने बज़ट की धनराशि में बढ़ोत्तरी कर कानपुर के विकास में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

2. महोदय आप सभी अवगत है कि राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह प्राप्त होने वाली धनराशि (रू0 2116 लाख) नगर निगम की आवश्यकता को देखते हुये ऊँट के मुंह में जीरे की भॉति है। विगत तीन वर्षो की तुलनात्मक स्थिति से सुस्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि लगातार कम हो रही है जबकि अधिष्ठान पर व्यय लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 34.00 करोड रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक बढ़कर 92.00 करोड़ हो गया है तथा 31 मार्च तक कुल 100.00 करोड़ सम्भावित है।

(धनराशि करोड़ में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	अधिष्ठान पर प्रतिवर्ष व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
1	2012-13	230.718	228.415	2.303 (+ धनात्मक)
2	2013-14	355.303	242.623	112.68 (+ धनात्मक)
3	2014-15	417.787	260.001	157.776 (+ धनात्मक)
4	2015-16	289.266	287.89	1.376 (+ धनात्मक)
5	2016-17	286.345	320.527	34.182 (- ऋणात्मक)
6	2017-18 (अप्रैल से फरवरी 2018 तक)	235.63	327.80	92.17 (- ऋणात्मक)

ह0............. महापौर

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह लगभग 800.00 लाख (08 करोड़) की धनराशि नगर निगम निधि से जोड़ते हुयें अधिकारियों/ कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन में भुगतान की जाती है। जिस कारण नगर निगम निधि से होने वाले विकास कार्यो पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा चाहते हुये भी निगम नगर निगम निधि से विकास कार्य कराने में परेशानी महसूस कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो न तो पूर्व में पूर्ण हुये कार्यो का भुगतान हो पायेगा और न ही नये कार्य हो पायेगें ओर अंतत: नगर निगम की छवि धूमिल होगी। चौथी शताब्दी ई0 पूर्व के महान चिन्तक कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थ के बिना कोई राज्य चलना असभंव है। आय के अनुसार खर्च करना चाहिये। फिजूलखर्ची बर्बाद कर देगी। अत: आवश्यकता इस बात की है, कि हमे नगर निगम के राजस्व की वृद्धि में न केवल मिल जुलकर ठोस सामूहिक प्रयास करने होंगे बल्कि एक जूनून जगाना होगा क्योकि कहते है –

मंजिल यू ही नही मिलती दोस्त ,एक जूनून जगाना पड़ता है।
पूछां चिडिया से घोसला कैसे बनता है ,बोली तिनका –तिनका उठाना पड़ता है।

बजट में प्रस्तुत आंकडे बताते है कि जनवरी 2018 तक सम्पत्ति कर से नगर निगम की वास्तविक आय 8817.81 लाख (88 करोड़ 17 लाख 81 हजार) ही हो सकी है। जो मार्च तक लगभग 10000 लाख (100.00 करोड) सम्भावित है। इतनी धनराशि तो वेतन एवं पेंशन की प्रतिपूर्ति में ही खप जायेगी फिर विकास कार्य कैसे होगें यह सोचने का विषय है। आने वाले वित्तीय वर्ष में मंहगाई भत्ता आदि की बढोत्तरी होने से अधिष्ठान व्यय बढना ही है। अत: उसी अनुपात में हमे अपने सम्पत्ति कर की वसूली में वृद्धि करनी होगी। अन्यथा कानपुर की भावी पीढी हमे कभी माफ नही करेगी। यहॉ हमें शायर मुज़फ्फर रज़मी की कुछ पंक्तिया याद आ रही है। उन्होने लिखा है –

कुछ ऐसे भी मंज़र है तारीख की नज़रो में ,
लम्हो ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी है।

3. इतने पर भी अगले वित्तीय वर्ष के लियें प्रस्तुत मूल बजट में जन उपयोगी कार्यो जैसे सड़क,नाला नाली अनुरक्षण ,पार्को का रख रखाव ,उद्यानों का रख रखाव ,गौशाला/आवारा पशुओ का रख रखाव आदि के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई कमी नही की गयी है जैसे—

(धनराशि लाख में)

क्रम	मद	वर्तमान वित्तीय वर्ष	अगामी वित्तीय वर्ष
1	सड़क अनुरक्षण	2500.00	2500.00
2	नाला नाली अनुरक्षण	800.00	800.00
3	यातायात संकेत अनुरक्षण	100.00	100.00
4	पार्को का रख रखाव	700.00	600.00
5	उद्यानों का रख रखाव	100.00	300.00
6	गौशाला/आवारा पशुओ	100.00	100.00

4. वित्तीय परेशानियों के वाबजूद जहॉ अन्य नगर निगमों में कई कई माह से वेतन एवं पेंशन के भुगतान लम्बित होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों में असतोष व्याप्त हो रहा है वहीं हमें यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि अभी तक नगरनिगम कानपुर में ऐसी कोई विषम स्थिति उत्पन्न नही होने दी गयी है और आगे भी ससमय अधिकारियों/कर्मचारियों के देय भुगतान कर नगर निगम कानपुर का वातावरण सौहार्द पूर्ण बनायें रखने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

ह0............. महापौर

1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	50.06	217.00	118.68	227.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	91.66	6.00	0.00	6.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	743.63	405.00	383.95	405.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	129.22	112.10	215.54	272.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	29667.94	31077.00	21850.21	31177.00
	TOTAL -(A)		योग (अ)	**6**	**41743.70**	**48087.10**	**32709.29**	**49232.10**
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	- 6	9413.66	11100.00	8273.62	13100.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	3006.98	4050.00	2080.67	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6-7	878.28	14466.50	12226.52	13835.50
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	81.00	0.00	3.00
	TOTAL -B-		योग (ब)	**7**	**13298.93**	**29701.50**	**22580.81**	**30992.50**
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	**7**	**55042.63**	**77788.60**	**55290.10**	**80224.60**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविगं फण)	7	4648.73	5200.00	0.00	5200.00
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7-8	2378.81	37331.60	392.58	37331.60
	TOTAL -C-		योग (स)	**8**	**7027.54**	**42531.60**	**392.58**	**42531.60**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	**8**	**62070.17**	**120320.20**	**55682.68**	**122756.20**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	8	32715.89	22508.30	29005.34	22508.30
	Grand Total		महायोग	**8**	**94786.06**	**142828.50**	**84688.02**	**145264.50**

व्यय

ह0............. महापौर

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2016–2017	पुनरीक्षित धनराशि 2017–18	वास्तविक व्यय जनवरी 2018 तक	प्रस्तावित धनराशि 2018–2019
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	–				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	32358.48	38280.00	29431.56	40380.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	1205.45	2369.00	707.61	1897.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-11	14976.99	10871.00	6059.25	10521.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	453.07	458.00	0.72	458.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	761.88	1340.00	204.71	1340.00
	TOTAL -D-		योग (द)	**13**	**49755.88**	**53318.00**	**36403.85**	**54596.00**
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	–				
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	14	4765.16	16500.00	3757.18	16500.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	3587.74	4000.00	1795.61	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	259.04	15167.50	11120.25	15131.50
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00	0.00	32.00
	Total -E-		योग (य)	15	**8611.94**	**35703.50**	**16673.04**	**35667.50**
	Total -(D+E)		योग (द+य)	**15**	**58367.82**	**89021.50**	**53076.90**	**90263.50**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	5200.00	0.00	5200.00
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना अग्रिम	15	4841.93	37361.60	23.25	37331.60
	TOTAL -F-		योग (र)	**15**	**4841.93**	**42561.60**	**23.25**	**42531.60**

ह0............. महापौर

	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**15**	**63209.75**	**131583.10**	**53100.15**	**132795.10**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	16	-2787.09	0.00	87.36	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**16**	**65996.84**	**131583.10**	**53012.79**	**132795.10**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	16	28789.22	11245.40	31675.23	12469.40
	Grand Total		महायोग	**16**	**94786.06**	**142828.50**	**84688.02**	**145264.50**

.... **सर्वसम्मति से नगर निगम के मूल बजट 2018–19 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 122756.20 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 22508.30 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 145264.50 लाख तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 132795.10 लाख एवं अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 12469.40 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 145264.50 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि कामर्शियल भवनों पर नगर निगम द्वारा 05गुना टैक्स बढ़ा कर लगाया गया है, क्या नगर निगम बजट में उसे बढ़ा हुआ दर्शाया गया है अथवा नही ?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि बजट में वित्तीय वर्ष की आय व व्यय को देखकर बजट तैयार किया जाता है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि इसके पूर्व में समिति के सदस्यों को पुनरीक्षित बजट से भी अवगत कराया जाता रहा है, इसलिये मेरे द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल को जलकल विभाग का वित्तीय वर्ष 2018–19 का मूल बजट कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर महाप्रबन्धक जलकल ने वित्त अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2018–19 का मूल बजट कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा।

वित्त अधिकारी जलकल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के मूल बजट की प्रतियाँ समिति के सदस्यों को वितरित करवाते हुये मदवार अवगत कराया।

प्रस्ताव संख्या–02

वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित वार्षिक बजट जलकल विभाग का प्रस्तुत है। बजट में राजस्व आय रू0 121.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो विगत वर्ष के प्राविधान रू0 117.60 करोड़ के विरूद्ध है। माह दिसम्बर, 2017 तक राजस्व आय रू0 55.18 करोड़ हुई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 संचालन व्यय के अन्तर्गत जिसमें अधिष्ठान, विद्युत व्यय, रख–रखाव एवं अन्य व्यय सम्मलित है में रू0 159.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो विगत वर्ष रू0 152.85 करोड़ के विपरीत है। संचालन व्यय में अधिकतम व्यय अधिष्ठान मद में है शेष मदों को सम्भावित राजस्व आय की सीमा में सीमित किया गया है।

असंचालन आय में विद्युत देयों का स्वजनित राजस्व से भुगतान न हो पाने के कारण विद्युत एवं अन्य मद हेतु धनराशि शासकीय अनुदान मद में रू0 36.00 करोड़ प्राविधानित की गई है एवं व्यय में रू0 5.68 करोड़ का प्राविधान इस दृष्टि से किया गया है, कि किसी आकस्मिक स्थिति में आवश्यक सेवाओं में गतिरोध उत्पन्न न हो। स्वीकृत बजट सीमा में राजस्व आय के अनुपात में ही राजस्व व्यय का उपयोग जोनल स्तर पर अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के रूप में किया जायेगा।

ह0.............. महापौर

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2018–19

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2016–17	प्रस्तावित आय 2017–18	वास्तविक आय दिसम्बर, 2017	प्रस्तावित आय 2018–19
	अ–	राजस्व आय –				
1100201		जलकर	5604.69	6530.00	3602.23	6700.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य / न्यूनतम प्रभार	1687.39	2200.00	760.00	2260.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2062.55	2840.00	1054.35	2970.00
1408002		अन्य प्राप्तियॉ	22.32	45.00	12.14	30.00
1408001		अधिभार	1.97	10.00	2.81	10.00
1401502		नियमितीकरण	4.44	15.00	8.49	20.00
1401401		विकास शुल्क	71.94	120.00	77.95	120.00
		योग राजस्व –	**9455.30**	**11760.00**	**5517.97**	**12110.00**
	ब–	असंचालन आय–				
3111301		डिपाजिट कार्य	1557.24	500.00	379.95	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	-	3600.00	-	3600.00
		कुल आय–	**11012.54**	**15860.00**	**5897.92**	**16210.00**
3311001	स–	ऋण से प्राप्ति	-	-	-	-
		योग–(अ.+ब+स)	**11012.54**	**15860.00**	**5897.92**	**16210.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	4387.46	2668.00	4225.76	2675.00

ह0............. महापौर

		महायोग –	**15400.00**	**18528.00**	**10123.68**	**18885.00**

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2016–17	प्रस्तावित व्यय 2017–18	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2017	प्रस्तावित व्यय 2018–19
	अ–	संचालन व्यय –				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	7589.15	10340.00	6660.12	10835.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	295.71	3000.00	5.44	3000.00
2303004	3	पूर्तियॉ	312.60	520.00	269.62	600.00
2308007	4	अन्य व्यय	45.86	70.00	28.09	75.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	901.89	1105.00	525.97	1185.00
2208003	6	जनरल टैक्स	343.54	250.00	0.00	250.00
		योग संचालन व्यय –	**9488.75**	**15285.00**	**7489.24**	**15945.00**
	ब–	असंचालन व्यय –				
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का कय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का कय	-	20.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर कय	0.64	10.00	-	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर कय	-	0.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	10.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	0.60	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	10.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	0.00	-	0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का कय	-	10.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं व्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1684.25	500.00	1650.14	500.00

ह0.............. महापौर

योग असंचालन व्यय –	**1685.49**	**568.00**	**1650.14**	**568.00**
कुल योग (अ ब) व्यय	11174.24	15853.00	9139.38	16513.00
अन्तिम अवशेष	4225.76	2675.00	984.30	2372.00
महायोग	**15400.00**	**18528.00**	**10123.68**	**18885.00**

.... सर्वसम्मति से जलकल विभाग के मूल बजट 2018–19 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 16210.00 लाख, प्रारम्भिक अवशेष धनराशि रू0 2675.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 18885.00 तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 16513.00 लाख, अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 2372.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 18885.00 को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जलकल विभाग में फरवरी तक के व्यय से अवगत कराने के साथ यह भी बताया जाये कि जिस प्रकार व्यय पर बजट में प्राविधान करते है, उसी प्रकार आय पर भी ध्यान दिया जाता है अथवा नही ? जलकल विभाग द्वारा नगर निगम की अपेक्षा अधिक टैक्स वसूला जाता है और फिर भी कार्य बताये जाने पर जलकल विभाग द्वारा धनाभाव को बताया जाता है।

वित्त अधिकारी, जलकल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष बजट रू0 05.00 करोड़ बढ़ाया गया है।

महाप्रबन्ध, जलकल ने अवगत कराया कि जितना हमारा लक्ष्य है और हम जितनी बिलिंग करते है, उस पर शत–प्रतिशत वसूली का प्रयास किया जता है। मा0 सभापति महोदया व शासन के निर्देशों पर बकायेदारों को छूट प्रदान कर पिछले बकाये की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। जलकल विभाग के जो भी कार्य नही हुये है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

उपसभापति ने कहा कि जिन अध्यासियों के बिल ठीक नही हो पाये है उनमें भी छूट प्रदान करने का प्राविधान किया जाये।

प्रस्ताव संख्या –03 श्री गिरीश चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

<u>प्रस्ताव</u>

सविनय अवगत हो कि कानपुर नगर निगम ने पूर्व सरकार में सीमा विस्तार तैयार कर शासन को भेजा था शासन ने उस पर सहमत भी दे दी थी निगम के इस प्रस्ताव में 57 गॉवो की आवादी शहरी होगी। मा0 महापौर जी है तो यह राजनैतिक साजिस 57 गांवो को शामिल कर महज चुनावी स्टंट था लेकिन मै इसका पूरजोर समर्थक हूँ तथा चाहता हूँ कि गांवो का समग्र विकास किया जाने के साथ जहॉ शहर की सीमा से सटे अन्य गांवो को भी सीमा विस्तार में लिआ जाय जैसे –रूमा क्षेत्र के आस पास के गावों को भी सीमा विस्तार में लिया जाय ताकि जनमानस को अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

.... नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –04</u> श्री गिरीश चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

ह0............. महापौर

प्रस्ताव

विषय :– वार्ड–7 निराला नगर का राधा किशन एवं जे0पी0 पार्क का सुन्दरीकरण कराने हेतु कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के सन्दर्भ में।

सविनय निवेदन है कि वार्ड–7 में उपरोक्त पार्क बड़ा होने के कारण नगर निगम द्वारा सुन्दरीकरण नही किया गया इसी लिये विगत कई सालों से जीर्ण क्षीण अवस्था में है। वार्ड के आस–पास की जनमानस विशेषकर वृद्ध लोग स्वास्थ लाभ नही ले पा रहे है।

मा0 महापौर एवं कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क का सुन्दरीकरण कराने हेतु स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' ने कहा कि उपसभापति का यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है, इसी प्रकार पूरे कानपुर में जो भी पार्क विकसित नही है उनका समृद्धीकरण को बढ़ावा दिया जाये, जिससे शहर के आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके।

.... **प्रश्नगत पार्क के साथ ही शहर के सभी पार्को को चिन्हित कर उनका सुन्दरीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या –05 श्री नवीन पंडित द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

प्रस्ताव

विषय :– लाजपत नगर स्थित पार्क के नाम के सन्दर्भ में।

आपको अवगत कराना है कि सिख समाज का गौरवशाली व बलिदानी इतिहास देश धर्म की रक्षा के लिए रहा है। श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की तीन पीढ़ियो का बलिदान काश्मीरी ब्राम्हणो के लिए व चार साहब जादों का बलिदान भी जुल्म के खिलाफ मुगलों से लड़ते–लड़ते हुआ।

अतः हम सभी पार्षद गण यह मांग करते है कि लाजपत नगर स्थित पार्क का नाम श्री गुरू गोविन्द सिंह जी के चार पुत्रों के नाम से (चार साहब जादे पार्क) रखा जाए। ताकि समाज को उनके बलिदान के विषय में बताया जा सके।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि इसकी जानकारी करा ली जाये कि पूर्व से इस पार्क का कोई नामकरण तो नही है।

.... **नामकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षणोंपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या –06 श्री नवीन पंडित द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

प्रस्ताव

ह0.............. महापौर

विषय :– अशोक चक्र,वीर चक्र,शौर्य चक्र,वीरता पुरस्कार प्राप्त व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी व्यक्तियों का हाउस टैक्स व वाटर टैक्स माफ किया जाने के सन्दर्भ में।

आपका ध्यान कानपुर के अशोक चक्र,वीर चक्र,शौर्य चक्र,वीरता पुरस्कार प्राप्त व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी व्यक्तियों का हाउस टैक्स व वाटर टैक्स माफ किया जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने कानपुर नगर का गौरव बढ़या है। इस प्रकार लगभग 100 परिवार कानपुर नगर में होगे इन परिवारों का हाउस टैक्स व वाटर टैक्स माफ करके उनको सम्मानित करना चाहिए जो कि कानपुर नगर निगम की सीमा में आते हैं।

श्री हाजी मो0 अमीम ने कहा कि सिर्फ शहीदों को ही नही वरन् सभी फौजियों को जलकर व गृहकर से मुक्त किया जाये।

.... **नियमानुसार शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र भेजे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–07

नगर आयुक्त के पत्रांक संख्या–3234/3/प दिनांक 20.02.2018 के द्वारा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–221 (2) के अर्न्तगत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विशेष प्रस्ताव

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–221 (2) के अर्न्तगत दिनांक 26.02.2013 को सम्पन्न हुई नगर निगम मा0 सदन की बैठक में विशेष प्रस्ताव सं0–35 द्वारा ऐसे स्वतत्रता संग्राम सेनानी जिनका नगर निगम सीमा में एक ही आवासीय भवन हो और भवन नगर निगम कर निर्धारण सूची में उनके अथवा उनकी विधवा के नाम अंकित हो तथा स्वयं निवासित हो,के उस भाग को सामान्य कर से मुक्त रखे जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार की पुष्टि हेतु प्रेषित की गयी थी जिसको शासन के पत्र संख्या–200/9–9–14–15ज/14 दिनांक–10,फरवरी 2014 द्वारा नगर निगम के हित में न पाते हुए निरस्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक स्थानीय निकाय उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एसटी/1307 एडी(ए)/2018 दिनांक 06 फरवरी,2018 जो शासन द्वारा उ0प्र0 स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2017 के संकल्प पत्र में उल्लिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराकर शासन को आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–221 (2) में व्यवस्था है कि **"(निगम) राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा,किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है।"**

इस सम्बन्ध में संकल्प पत्र में की गयी घोषणा के कम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनकी विधवा एवं आश्रित (पति,पत्नी,नाबालिग व अविवाहित पुत्री) की आवासीय सम्पत्ति जो पूर्णरूपेण स्वंय निवासित (भवन में कोई किरायेदारी न हो) हो व नगर निगम सीमा में एक ही भवन हो को सामान्य कर से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को पुष्टि हेतु प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्यकारणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

...................**स्वतत्रता संग्राम सेनानी जिनका नगर निगम सीमा में एक ही आवासीय भवन हो और भवन नगर निगम कर निर्धारण सूची में उनके अथवा उनकी विधवा के नाम अंकित हो तथा स्वयं निवासित हो,के उस भाग को सामान्य कर से मुक्त रखे जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या –08 श्री प्रमोद जायसवाल द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

ह0............. महापौर

प्रस्ताव

विषय :– अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 की फाईल कमांक–322,324,326 के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सड़क और नाली की फाइल बनी हुई है। जिसको जनहित में कार्य करना अति आवश्यक है। 20 सालों से सड़क नहीं बनी है। इसे कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कराने की कृपा करें।

कार्य का नाम

1. फाईल नं0–326 जोन–3 वार्ड 92 के अंतर्गत अशोक विहार स्थित म0न0 13 से 18 व 1 से 6 एवं म0नं0 47 से 48 तक सड़क व साइट पटरी एवं नाली सुधार कार्य अनुमानित लागत–24,99,719 रूपये
2. फाईल नं0–324 जोन–3 वार्ड 92 के अंतर्गत डब्लू केसव नगर स्थित उस्मानपुर मेन रोड से म0न0 514 तक नाला का सुधार कार्य अनुमानित लागत–32,40,106 रूपये
3. फाईल नं0–322 जोन–3 वार्ड 92 के अंतर्गत हमीरपुर रोड से टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे तक एवं उस्मानपुर स्टेट बैंक से कंजरनपुरवा रोड साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य अनुमानित लागत–66,40,586 रूपये

.... परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–09

श्री नवीन पंडित पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो तथा सम्मानित कार्यकारिणी सदस्य गण द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

विषय :– प्रधान मंत्री जन औषधीय केन्द्र जागेश्वर अस्पताल,चाचा नेहरू,बी0एम0भल्ला मे केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रधान मंत्री जन औषधीय केन्द्र गरीबों को बहुत सस्ते मे दवाई मुहैया कराई जा रही है दवाईयों का रेट बहुत ही कम है और दवाई असरदार है कानपुर में 2 केन्द्र बने है जहॉ से लोग दबाईयॉ ले रहे है।

यदि नगर निगम भी इसकी औपचारिकता पूरी कर निम्न स्थलों पर यह केन्द्र चलवाएं तो जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और यदि नगर निगम यह कार्य नहीं कर सकता है तो हमारी संस्था दक्षिण विकास मोर्चा को जागेश्वर अस्पताल गोविन्द नगर में 1 कमरा मुहैया करा दे तो हमारी संस्था यह सेवा करने के लिए संकल्पित है और हम लोग यह सेवा करने के लिये संकल्पित है और हम लोग यह सेवा करने को तैयार है।

कार्यकारिणी समिति अनुमति प्रदान करने हेतु।

.... ऐसी किसी भी संस्था, जो निःस्वार्थ भाव से यह कार्य करने की इच्छुक हो, उसे जागेश्वर अस्पताल, गोविन्द नगर में नियमानुसार एक कमरा दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0............ महापौर

संज्ञान में आया है कि नगर निगम के केयर टेकर विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन के रूप में प्रतिमाह रूपया 3795/– का वास्तविक भुगतान किया जाता है, जो कि आज की महँगाई दर एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर से भी अत्यन्त कम धनराशि है इस कारणवश इस केयर टेकर विभाग में कार्यरत आउट सोर्सिंग कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से न कर पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः वर्तमान समय की महँगाई दर व श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम श्रमिक दर को दृष्टिगत रखते हुये केयर टेकर विभाग में कार्यरत आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर न्यूनतम प्रतिमाह रूपया 7500/– निर्धारित करने हेतु माननीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रखने का कष्ट करें।

आप एवं मा0 कार्यकारिणी समिति से अपेक्षा है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

.... **आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रतिमाह शासनादेश के अनुसार भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–17</u>

श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू" द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य दो सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

संज्ञान में आया है कि नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटर को वेतन के रूप में प्रतिमाह रूपया 9045/– का वास्तविक भुगतान किया जाता है, जो कि आज की महँगाई दर एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर से भी अत्यन्त कम धनराशि है इस कारणवश इस नगर निगम, कानपुर में कार्यरत आउट सोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटरों को अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः वर्तमान समय की महँगाई दर व श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम श्रमिक दर को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम, कानपुर में कार्यरत आउट सोर्सिंग कम्प्यूटर आपरेटरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर न्यूनतम प्रतिमाह रूपया 18000/– निर्धारित करने हेतु माननीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रखने का कष्ट करें।

आप एवं मा0 कार्यकारिणी समिति से अपेक्षा है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

.... **कम्प्यूटर आपरेटरों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासन से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही करायें जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–18</u>

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या– 3386/3/प दिनांक– 22.03.2018 को अधिनियम–1959 एवं उसके अन्तर्गत गठित उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) 2013 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित :–

<u>प्रस्ताव</u>

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उ0प्र0 नगर निगम के अधिनियम–1959 एवं इसके अन्तर्गत गठित उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) 2013 के अन्तर्गत सम्पत्तियों के सामान्य कर के पुनः निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है, जो स्वयं में एक वृहद एवं समयसाध्य कार्य है, जिसके कारण अंतिम निस्तारण के पश्चात् अधिकृत भवन स्वामी/अध्यासी को भुगतान हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने में विलम्ब होने के कारण जनहित एवं नगर निगम आर्थिक हित में नियमानुसार सम्पत्ति पर कोई बकाया न होने की दशा में चालू मॉग पर दी जाने वाली छूट की अवधि पूर्व स्वीकृत 30 नवम्बर, 2017 के उपरान्त अब तक तीन बार (01 दिसम्बर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक , 01 जनवरी, 2018 से 31

ह0............. महापौर

जनवरी, 2018 तक एवं 01 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 तक) बढ़ाई गई है, जिसकी सूचना मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त बढ़ाई गई अवधि में दी गई 10 प्रतिशत की छूट को स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ नगर निगम लेखा विभाग में उसे अंकित एवं समायोजित किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–19

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या– 3385/3/प दिनांक– 22.03.2018 को अधिनियम की धारा–148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित :–

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) संग्रहण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विगत वर्षो की भॉति रू0 1200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत एवं रू0 1201.00 एवं इससे अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
2. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये तथा नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार कर दाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक–31.03.2017 तक कोई अवशेष न हो, उनको वित्तीय वर्ष 2017–18 में 01 अप्रैल 2018 से 30 जून, 2018 तक चालू मॉग (यदि अवशेष है तो मय बकाया, ब्याज व चालू मॉग सहित एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने पर) पर विगत वर्षो की भॉति 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने एवं तदोपरान्त विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त को एक–एक माह हेतु (जिसकी अन्तिम सीमा माह नवम्बर, 2018 होगी) इसे बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाना।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

सभापति के अनुमोदनोपरान्त निम्न प्रस्ताव विभागीय कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गयेः–

टेबुल प्रस्ताव सं0	मा0 विधायक/मा0पार्षदगण वार्ड संख्या सहित	संक्षिप्त विषय
20	श्री अभिषेक गुप्ता "मोनू" वार्ड सं0–101	पार्षदों को 07 हजार रूपये मासिक भत्ता दिये जाने के संबंध में।
21	श्री अभिषेक गुप्ता "मोनू" वार्ड सं0–101	पूर्व की भॉति 11 कक्ष समितियॉ के गठन के संबंध में।
22	श्री प्रमोद जायसवाल वार्ड सं0–92	एच0ब्लाक–32 दुकान के सामने बारात शाला बनाये जाने के संबंध में।
23	श्री सुनील कनौजिया वार्ड सं0–14	जूही धोबीघाट जाने वाले मार्ग का नामकरण संत गाडगे जी महाराज किये जाने के संबंध

ह0.............. महापौर

		में।
24	श्रीमती मेनका सिंह सेंगर वार्ड सं0–87	द्विवेदी पेट्रोल पम्प के पीछे बारात शाला बनाये जाने के संबंध में।
25	श्रीमती कमल रानी वरूण विधायक भा.ज.पा.	मकान सं0 82 / 10, कोपरगंज कबीर आश्रम के नवीनीकरण के संबंध में।
26	श्री श्रीकान्त द्विवेदी प्रादेशिक महामंत्री उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ	नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं से संबंधित 09 प्रस्ताव।
27	कु0 लक्ष्मी कोरी वार्ड सं0–4	ग्वालटोली में बारातशाला बनाये जाने के संबंध में।
28	श्री अर्पित यादव वार्ड सं0–45	चौधरी रामगोपाल चौराहे से बर्रा बाई पास तक ग्रीन बेल्ट बनाये जाने के संबंध में।
29	कु0कीर्ति अग्निहोत्री वार्ड सं0–42	परमट में बारातशाला बनाये जाने के संबंध में।
30	श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता वार्ड सं0–63	नगर निगम में 74वाँ संसोधन व स्थानान्तरण नीति लागू किये जाने के संबंध में।
31	श्री गिरीश चन्द्रा वार्ड सं0–07	राधा किशन पार्क जीर्णोद्वार किये जाने के संबंध में।
32	श्रीमती नेहा यादव वार्ड सं0–43	जागेश्वर मंदिर के पास प्रवेश द्वार के संबंध में।
33	श्री राघवेन्द्र मिश्रा वार्ड सं0–91	मा0ईश्वर चन्द्र जी गुप्त पूर्व सांसद का निवास मार्ग उन्ही के नाम किये जाने के संबंध में।
34	श्री जीतेन्द्र गांधी कुशवाह वार्ड सं0–60	अशोक वाटिका चौराहे में अशोक–स्तम्भ बनवाये जाने के संबंध में।
35	श्री जीतेन्द्र गांधी कुशवाह वार्ड सं0–60	रावतपुर गॉव में सफाई कर्मचारी कम होने के संबंध में।
36	श्री अभिषेक गुप्ता "मोनू" वार्ड सं0–101	प्रत्येक वार्डो में 10–10 आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी लगाये जाने के संबंध में।
37	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला "दद्दा"वार्ड सं0–49	केन्द्रीय कर विभाग के विकेन्द्रीय करण के निरस्त किये जाने के संबंध में।
38	श्री लियाकत अली वार्ड सं0–71	सीसामऊ दक्षिण में बारातशाला बनाये जाने के संबंध में।
39	श्री जय प्रकाश पाल वार्ड सं0–72	सभी दक्षिण के वार्डो में 10–10 सफाई कर्मचारी बढाये जाने के संबंध में।
40	श्री जय प्रकाश पाल वार्ड सं0–72	सभी वार्डो के हैण्डपम्पों के रिपेयरिंग हेतु।
41	श्री जय प्रकाश पाल वार्ड सं0–72	रतनलाल नगर व दबौली को जोडने वाली सड़क के निर्माण के संबंध में।
42	श्री जय प्रकाश पाल वार्ड सं0–72	भारतीय स्टेट बैंक चौराहे का नामकरण झूलेलाल चौराहे किये जाने के संबंध में।
43	श्री अश्वनी कुमार चढ्ढा वार्ड सं0–48	चाचा नेहरू स्कूल के सामने सड़क व फूटपाथ बनाये जाने के संबंध में।
44	श्री अश्वनी कुमार चढ्ढा वार्ड सं0–48	बाबा हरदेव सिंह निरंकारी बाबा के स्थल के सामने सड़क व फूटपाथ निर्माण कं संबंध में।
45	श्री शलेश आनन्द वार्ड सं0–2	रामलीला मैदान व 3ब्लाक के पीछे स्थित पार्क के सुन्दरीकरण के संबंध में।
46	श्री लियाकत अली वार्ड सं0–71	जच्चा–बच्चा अस्पताल को चालू किये जाने के संबंध में।
47	श्री सन्तोष साहू वार्ड सं0–82	जरौली गॉव में बारातशाला बनाये जाने के संबंध में।
48	श्री सन्तोष साहू वार्ड सं0–82	स्व0 रंगनारायण मालवीय का निवास मार्ग उन्ही के नाम किये जाने के संबंध में।
49	श्रीमती नीतू मिश्रा वार्ड सं0–51	सीवर समस्या क समाधान के लिये सफाई व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

ह0............. महापौर

.... **टेबुल प्रस्ताव संख्या–20 से 49 तक नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि वार्ड में जो भी सफाई कर्मचारी एन.जी.ओ. व संविदा पर कार्य कर रहे है, उन्हें क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र कार्य करने हेतु भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि नगर आयुक्त जी ने बुलाया है, जिससे क्षेत्र की सफाई एवं कूड़ा उठान की व्यवस्था प्रभावित होती है, अतः पार्षद द्वारा बताये गये स्थानों पर प्राथमिकता पर कार्य कराये जाये।

मा0 सभापति जी द्वारा नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक वार्ड में 10–10 सफाई कर्मचारी एवं शहर से दूर स्थित क्षेत्र/वार्डो में 15–15 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए समुचित सफाई व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करे।

नगर आयुक्त ने कहा कि मैं कार्यकारिणी समिति को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे व हमारे अधिकारियों के लिये आपका मान–सम्मान सर्वोपरि है।

अन्त में सभापति द्वारा सभी सदस्यों से आज दिनांक–29.03.2018 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... **सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से आज दिनांक–29.03.2018 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

तद् उपरान्त सभापति द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0............

(प्रमिला पाण्डेय)
सभापति/महापौर